राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

क्रमांक : प.1(15)पर्यटन/2013 दिनांक : 16/08/21

-: आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण 2021-22 के बिन्दु संख्या 210 में की गई घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में पर्यटन विभाग, राजस्थान के अधीनस्थ कार्यालय पर्यटक सूचना केन्द्र, सीकर को पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर में क्रमोन्नत किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर द्वारा निम्नानुसार कार्यों का संपादन किया जायेगा:-

1. पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर को Digital Help Desk के रुप मे विकसित कर शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन का संवर्धन किया जायेगा। विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से पर्यटकों को वांछित सूचनाएं एवं सहायता प्रदान की जायेगी।
2. शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों पर क्षेत्र के लिये कार्य कर रहे ट्रेवल ऐजेन्ट्स को प्रतिमाह ई-न्यूजलेटर्स ई-मेल द्वारा प्रेषित किये जायेंगे, जिससे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान आने वाले पर्यटकों को शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन हेतु आकर्षित किया जा सके।
3. शेखावाटी की पर्यटन गतिविधियों को राजस्थान पर्यटन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित कर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
4. नई दिल्ली एवं देश के प्रमुख महानगरों से Bloggers, Influencers, Travel Media को आमंत्रित किया जाकर उनके स्थानीय भ्रमण (Fam Tours) के आवश्यक उपाय सुनिश्चित करना।
5. सूचना एवं सुरक्षा संबंधी मोबाइल एप के माध्यम से पर्यटकों को सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
6. पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा हेतु "पर्यटक सहायता बल" का हैल्प डेस्क स्थापित किया जायेगा।
7. पर्यटकों द्वारा राजस्थान में पर्यटन भ्रमण हेतु ई-मेल अथवा दूरभाष पर की जाने वाली पूछताछ (Queries) के संबंध में ऑन-लाइन माध्यम से प्रत्युत्तर देना। पर्यटकों के चाहे जाने पर उन्हे आवास-प्रवास एवं यात्रा कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं ऑन-लाईन उपलब्ध करायी जायेंगी।
8. सीकर के आस-पास के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों तथा नवीन पर्यटकीय रुचि के स्थलों की पहचान कर इनके प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर्स, ब्रोशर्स आदि तैयार करना।
9. कार्यक्षेत्र में पर्यटक रुचि के निकटवर्ती स्थलों के भली-भांति प्रचार के लिये डे-ट्यूरिज्म को बढावा दिया जायेगा।
10. कार्यालय के माध्यम से सांस्कृतिक महत्व के स्थलों यथा लक्ष्मणगढ, रामगढ शेखावाटी, फतेहपुर आदि में पर्यटकों के लिये हैरिटेज वॉक का आयोजन किया जायेगा।
11. कोविड के दृष्टिगत क्षेत्र के स्थानीय मेले-त्यौहार/उत्सवों को वर्चुअल मोड पर आयोजित कर सोशल मीडिया के द्वारा देश-विदेश में प्रचारित करना।
12. क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढावा देने के लिये साइक्लिंग, कैंपिंग किट्स आदि उपलब्ध कराते हुए साहसिक पर्यटन संबंधी गतिविधियां आरम्भ की जायेंगी।
13. नवीन पर्यटन नीति, 2020 के अनुसरण में जारी राजस्थान गेस्ट हाउस स्कीम, राजकीय अतिथि गृह स्कीम, होम स्टे स्कीम से स्थानीय जन को अवगत कराया जायेगा एवं जोड़ा जायेगा ताकि पर्यटकों के लिये आरामदायक आवास की सुविधाएं उपलब्ध हो सके।
14. नवीन पर्यटन नीति, 2020 के तहत Root Tourism को प्रोत्साहित करने के लिये हैरिटेज होटल्स का डाटा बेस बनाया जायेगा एवं हैरिटेज होटल्स के संरक्षण व विकास संबंधी कार्य किये जायेंगे।
15. कार्यालय भवन में सोवेनियर शॉप्स स्थापित की जायेगी जिसके माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र तथा राज्य के हस्तशिल्प को प्रोत्साहित किया जायेगा।
16. RTDC का कैफे-काउन्टर, सरस पार्लर आरम्भ किया जायेगा।
17. पर्यटकों को शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छ प्रसाधन (Clean Toilets) सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।
18. पर्यटकों की सुविधा के लिये प्रतीक्षालय कक्ष (Waiting Lounge) बनाया जायेगा।
19. पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर के कार्यालय भवन का निर्माण स्थानीय स्थापत्य के आधार पर किया जायेगा।
20. शेखावाटी अंचल की हवेलियों के भित्ति-चित्रों को डिस्प्ले के माध्यम से दिखाया जायेगा।

21. कार्यालय परिसर में पर्यटकों को वर्चुअल टूर हेतु एक मिनी–ऑडिटोरियम बनाया जायेगा जहां पर पर्यटकों को क्षेत्र एवं राज्य के पर्यटक आकर्षणों यथा हवेलियों, कस्बों, पर्यटक स्थलों, स्थानीय ग्रामीण जीवन शैली इत्यादि का प्रदर्शन किया जायेगा।

22. क्षेत्र की हैरिटेज होटल्स से समन्वय कर सूचनाओं का संकलन किया जायेगा। क्षेत्र में हैरिटेज परिसंपत्तियों का चिन्हीकरण कर नवीन हैरिटेज होटल्स की स्थापना हेतु चिन्हीकरण किया जायेगा।

23. कार्यालय भवन में पर्यटकों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिये कियोस्क/केन्द्र स्थापित किये जायेगे, जैसे RTDC का बुकिंग काउन्टर, एटीएम, बस, रेल तथा एयरलाईन्स टिकिट काउन्टर, टूर–ट्रेवल ऐजेन्सी का काउन्टर इत्यादि।

24. पर्यटन विकास कार्यों का नियमित पर्यवेक्षण, नये पर्यटक आकर्षणों की पहचान, राज्य में पर्यटन संवर्धन, जिला पर्यटन विकास समिति की बैठकों का आयोजन, पर्यटक सांख्यिकी का संग्रहण, पर्यटन महत्व के मेले–उत्सवों, सेमीनार, मार्ट्स, प्रदर्शनियों, कॉन्फ्रेन्सेज इत्यादि का आयोजन।

25. पर्यटन ट्रेड व्यवसायियों को सहयोग एवं अनुज्ञाएं प्रदान कराना, क्षेत्राधिकार में गाईड अनुज्ञा पत्र बनाये जाना इत्यादि कार्य।

26. विभाग के अन्य पर्यटक स्वागत केन्द्रों द्वारा संपादित किये जाने वाले अन्य समस्त कार्य संपादित किये जायेंगे।

नवक्रमोन्नत पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर के संचालन के लिये बजट मद 3452–80–001–01–01 में निम्नानुसार पदों के स्थानान्तरण/सृजन किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति भी एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	विशेष विवरण
1.	सहायक निदेशक	1	पर्यटक स्वागत केन्द्र, बीकानेर में स्वीकृत सहायक निदेशक के पद का पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर में स्थानान्तरण
2.	सूचना सहायक	1	नवीन पद सृजन
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	सेवानिवृत्त कार्मिक/रेक्सको के माध्यम से सेवाएं

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–4) विभाग की आई.डी. क्रमांक 182100376 दिनांक 30.07.2021 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। पर्यटक सूचना केन्द्र, सीकर में पूर्व से स्वीकृत सहायक पर्यटक अधिकारी का 1 पद पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर में रहेगा।

ह०
(दिनेश कुमार जांगिड़)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय पर्यटन राज्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, सीकर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
10. निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर।
11. निदेशक, पर्यटन विभाग, राज., जयपुर।
12. जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर।
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–4) विभाग, राज., जयपुर।
14. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राज., जयपुर।
15. उप शासन सचिव, आयोजना (संस्थागत वित्त) विभाग, राज., जयपुर।
16. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पर्यटन विभाग, राज., जयपुर।
17. मुख्य लेखाधिकारी, पर्यटन विभाग, राज., जयपुर को IFMS पोर्टल पर पदों की सूचना अद्यतन कराने हेतु।
18. एसीपी (उप निदेशक), निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
19. उप निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, जयपुर।
20. प्रभारी अधिकारी, समस्त क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय/पर्यटक स्वागत केन्द्र/पर्यटक सूचना केन्द्र।
21. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव